संख्या-24/2024/ 691 /001-53-2099-1408-2019

प्रेषक,

राम सहाय यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास उ0प्र0,
लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग- 2 लखनऊ, दिनांकः 09 अगस्त,2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024-25 में गोकुल पुरस्कार के वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-50/दुग्ध-4/नियो०/गोकुल पुरस्कार/2024-25, दिनांक 06 मई, 2024, पत्रांक-148/दुग्ध-4/नियो०/गोकुल पुरस्कार(19)/24-25, दिनांक 12 जुलाई, 2024 एवं पत्रांक-203/दुग्ध-4/नियो०/गोकुल पुरस्कार(19)/24-25, दिनांक 29 जुलाई, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा **दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कृषकों को** प्रोत्साहित करने के **उद्देश्य से** गोकुल पुरस्कार से पुरस्कृत करने हेतु शासनादेश संख्या-658/53-2-18-2(24)/2013, दिनांक 09 मई, 2018 द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में **सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को सर्वाधिक दुग्ध आपूर्ति करने वाले प्रत्येक जनपद से 01 दुग्ध उत्पादक सदस्य एवं इन सर्वाधिक दुग्ध आपूर्ति करने वाले चयनित दुग्ध उत्पादकों में से प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दुग्ध उत्पादक को प्रदेश स्तर के पुरस्कार से क्रमशः रू0 2.00 लाख, रू0 1.50 लाख एवं** शेष 73 जनपदों के दुग्ध उत्पादक विजेताओं को रु0 51,000/- की दर से नगद पुरस्कार एवं पीतल धातु की एक-एक शील्ड, जिस पर एक गाय, दूध पीता बछड़ा तथा श्रीकृष्ण की निर्मित मूर्ति अंकित होगी, प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः गोकुल पुरस्कार के वितरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राविधानित धनराशि रू0 56.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रु0 55.73 लाख (रूपये पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र) के व्यय की निम्नलिखित तालिका में अंकित मदों के अनुसार श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं.	विवरण	संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
1.	प्रदेश में समितियों के माध्यम से सर्वाधिक दुग्ध बिक्री करने वाले दो उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में रू0 2.00 लाख एवं द्वितीय पुरस्कार के रूप में रू0 1.50 लाख की व्यवस्था।	2	3.50
2.	दुग्ध उत्पादक विजेता को रू0 51,000/- की दर से पुरस्कार (73 x 51,000)	73	37.23
3.	दुग्ध उत्पादक विजेता को दी जाने वाली शील्ड तथा अन्य मद में होने वाले व्यय (75 x20,000)	75	15.00
योग			**55.73**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) उक्त धनराशि जिस प्रयोजन हेतु अवमुक्त की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि का आहरण यथावश्यकता ही किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर, जिस खाते में जमा किया जायेगा, यदि उस खाते में कोई ब्याज अर्जित होता है तो उसे निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का व्यय समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायेगा।

(4) वितीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वीकृत धनराशि तथा उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 55,73,000 (रुपये पचपन लाख तिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 016 **लेखा शीर्षक** 2404008000300 गोकुल पुरस्कार का वितरण **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राम सहाय यादव,
विशेष सचिव।

<u>संख्या-24/2024/691/001-53-2099-1408-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज ।

3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

4- प्रबंध निदेशक, पी०सी०डी०एफ०लि0, लखनऊ।

5-वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वरिष्ठ मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- समस्त दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/समस्त दुग्ध संघ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 2, उ0प्र0 शासन।

9- वित (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

10- सम्बन्धित जिलाधिकारी।

11- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पंकज कुमार सिंह,
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।